उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2010/141(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः: देहरादून :: 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:–

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–I के क्रमांक संख्या 35 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात–

"खादी के वस्त्र/ (अखिल भारतीय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर द्वारा सत्यापित इकाइयाँ, जिनकी वार्षिक सकल बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है द्वारा उत्पादित वस्तुऐं यथा दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा तथा हाथ से निर्मित वस्तुऐं यथा कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाईलबोर्ड, ड्राइंगपेपर, बधाई पत्र एवं आमंत्रण पत्र।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 4129/2010/141(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3–गार्ड फाईल हेतु/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(सी0एस0सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

अनुभाग ... कार्यवाही करें